माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2021/ 1445 भोपाल, दिनांक 26 -10-2021

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 704/सीसी/2021/अडतीस दिनांक 09-09-2021 के परिपालन हेतु विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 की शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 01-10-2021 से विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति के साथ प्रारंभ की जा रही है। प्रत्येक विभाग/परिसर/विद्यार्थी निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें–

1. विभागों/परिसरों में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
2. विभागों/परिसरों में ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा।
3. पुस्तकालय में केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. विद्यार्थियों के घोषणा पत्र एवं माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर उपस्थिति स्वीकार्य होगी। माता/पिता/अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।
5. विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराख लगने संबंधी प्रमाण पत्र विभाग/परिसर में जमा करने के उपरांत ही भौतिक रूम में प्रवेश दिया जायेगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों के लिये इस संबंध में शासन द्वारा प्रावधानित नियम लागू होगें।
6. विश्वविद्यालय में छात्रावास चरणबद्ध रूप से प्रारंभ होंगे। प्रथम चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले जायेंगे।
7. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग, पुस्तकालय, छात्रावास, मेस एवं प्रशासन विभाग उपरोक्त उल्लेखित आदेश में विभागवार दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

संलग्न -1 म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, आदेश क्रमांक 704/सीसी/2021/अडतीस दिनांक 09-09-2021

2. विद्यार्थी का घोषणा पत्र
3. अभिभावक का सहमति/घोषणा पत्र

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2021/ 1446 भोपाल, दिनांक 26 10-2021

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षगण / परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. निदेशक, संबंद्ध अध्ययन संस्थाएं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. पुस्तकालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. चीफ वार्डन, कन्या छात्रावास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
8. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
9. सहायक कुलसचिव, प्रशासन को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. प्रभारी, वेबसाईट को अपलोड करने हेतु।
11. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव